

Duplicate Copy

08-Aug-2020

आदेश

तिथि

Dec 1 2018

आदेश पर की

गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा मन्डटाड थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
44	398	0 एकड़, 5.78 डिसमील, 0हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री उमेश कुमार नायक	पिता	श्री महावीर राम नायक

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 5772 दिनांक MMM d yyyyके द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
रामेश कुमार नायक	पिता	महावीर राम

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व कर्मचारी एबम अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खाआबेदन को स्वीकृत हेतु अनुसंसा किया गया है अंत दाखिल खरीज आबेदन को स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान **4रुपये**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

स्वीकृत

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :

PRAKASH KUMAR

अंचलाधिकारी धनबाद